भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3136

उत्तर देने की तारीखः 22.0**3**.201**8**

इंटरनेट की लत तथा साइबर आचार के प्रभाव के संबंध में पाठ

3136. श्री रंजिब बिस्वालः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में इंटरनेट**

**की लत के हानिकारक प्रभाव तथा साइबर आचार संबंधी पाठ शामिल किए जाने चाहिएं;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में उस मंत्रालय तथा राज्य सरकार जैसे अन्य हित धारकों से परामर्श किया है;**

**(घ) यदि हां, तो ऐसे परामर्श का क्या परिणाम निकला है; और**

**(ङ) इस संबंध में सरकार ने आगे क्या कार्रवाई की है/करने का विचार रखती है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेंद्र कुशवाहा)

(क) और (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साइबर कानूनों, इंटरनेट आचार, साइबर सुरक्षा उपायों, ऑनलाइन क्‍या न करें और क्‍यों न करें, साथ ही साथ इंटरनेंट के मनौवैज्ञानिक प्रभावों से संबंधित उपयुक्‍त सामग्री को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया है।

(ग): जी, नहीं।

(घ): प्रश्‍न नहीं उठता।

(ड़): राष्‍ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिाक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) ने स्‍कूल शिक्षा में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पाठ्यचर्या को विकसित किया है। पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में, इंटरनेट के इस्‍तेमाल से संबंधित सामाजिक और नैतिक विषयों को शामिल किया गया है। यह पाठ्यचर्या विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा वेब दुनिया के संरक्षित और सुरक्षित इस्‍तेमाल पर केन्‍द्रित है। एनसीईआरटी ने स्कूल शिक्षा प्रणाली में इंटरनेट के संबंध में ‘क्‍या करें और क्‍या न करें’ के रूप में दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं। केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने भी साइबर सुरक्षा और संरक्षा पर दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और देश भर के अपने संबद्ध स्‍कूलों के साथ इसे साझा किया है।